



**"भारत में आवास वित्त कंपनियों के लिये पर्यवेक्षण" पर आ. वि. कं. के अधिकारियों के लिये अनन्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम**  
**24-25 फरवरी, 2020**  
**भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड**  
**नई दिल्ली**

**राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय**

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ. बैंक) की स्थापना संसद के अधिनियम के तहत जुलाई 1988 में हुई है जो आवास वित्त संस्थानों को स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर संवर्धन करने और ऐसे संस्थानों को वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान करने और इसके साथ जुड़े मामलों या प्रासंगिक मामलों हेतु एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 के अनुसार, जनता के हित में राष्ट्रीय आवास बैंक को उम्मीद है कि देश की आवास वित्त प्रणाली को इसके लाभ के लिए विनियमित करें या जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक तरीके से संचालित किये जा रहे किसी भी आवास वित्त संस्थान के मामलों को या आवास वित्त संस्थानों के हित हेतु प्रतिकूल तरीके से होने से रोकें। रा.आ.बैंक की अन्य भूमिकाओं में वित्तपोषण और संवर्धन शामिल है।

**कार्यक्रम की आवश्यकता और उद्देश्य**

रा.आ.बैंक को सौंपी गई कई जिम्मेदारियों में से, मानव संसाधन का विकास बैंक का एक बड़ा एजेंडा है। तदनुसार, बैंक ने आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.), वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक आवास एजेंसियों के अधिकारियों के लिए आवास से संबंधित मामलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां और संगोष्ठी के माध्यम से आंशिक रूप से इसे संबोधित करने की मांग की है।

“भारत में आवास वित्त कंपनियों के लिये पर्यवेक्षण” पर इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य आवास वित्त के पर्यवेक्षी पहलुओं पर आ.वि.कं. के अधिकारियों (मध्य और वरिष्ठ स्तर) को अवगत कराना है। यह कार्यक्रम अनन्य रूप से आ.वि.कं. के अधिकारियों के लिए है और इसमें आ.वि.कं. के लिए लागू पर्यवेक्षी ढांचे पर विस्तृत सत्र होंगे। प्रमुख कार्यक्रम विषय उल्लिखित है।

**कार्यक्रम विषय**

- ✓ आ.वि.कं. के लिए पर्यवेक्षी ढांचा
- ✓ आ.वि.कं. – उचित व्यवहार संहिता पर उपभोक्ता मामले
- ✓ डीएसए, रिकवरी एजेंट, एमआईटीसी, ग्रीड्स, विवरणी की प्रस्तुति
- ✓ डाटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण
- ✓ निरीक्षण एवं टिप्पणियां



**"भारत में आवास वित्त कंपनियों के लिये पर्यवेक्षण" पर आ. वि. कं. के अधिकारियों के लिये अनन्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम**  
**24-25 फरवरी, 2020**  
**भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड**  
**नई दिल्ली**

**प्रतिभागी प्रोफाइल और संख्या**

पहले आओ पहले पाओ आधार पर तीस भागीदार स्वीकार किये जाएंगे। प्रशिक्षण आ.वि.कं. (मध्यम/वरिष्ठ स्तर) के अधिकारियों के लिये अनन्य रूप से है।

**नामांकन शुल्क:** (केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान)

- रिहायशी (साझा करना): ₹ 15,000.00 प्लस 18% जीएसटी (प्रति व्यक्ति ₹ 17,700.00 की कुल राशि)  
(शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है और किसी भी अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नामांकन की पुष्टि करने के लिए पूरे शुल्क को पूर्ण पंजीकरण फॉर्म के साथ विप्रेषित करना होगा। इनवायस प्रशिक्षण के 30 दिनों के भीतर और केवल भुगतान के बाद ही जारी किए जाएंगे।)
- गैर-रिहायशी: ₹ 12,000.00 प्लस 18% जीएसटी (प्रति व्यक्ति ₹ 14160.00 की कुल राशि)

**विप्रेषण का विवरण नीचे दिया गया है:**

क. खाते का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
ख. बैंक का नाम	एचडीएफसी बैंक लि.
ग. शाखा का नाम	नई दिल्ली के.जी. मार्ग
घ. शाखा का पता	जी-3-4, सूर्यकिरण भवन, 19, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001
ड.. खाता सं.	00030350014372
च. खाते का प्रकार	चालू
छ. एमआईसीआर कोड	110240001
ज. शाखा का आईएफएससी कोड	एचडीएफसी 0000003
झ. रा.आ.बैंक की जीएसटी सं.	07एएबीसीएन2600एच1जेडवाई
ञ. रा.आ.बैंक का जीएसटी पता	राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5-ए, भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली-110003

**स्थान:**

मैरीगोल्ड, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड

**निवास:**

23 फरवरी, 2020 (रविवार) की शाम से 25 फरवरी, 2020 (मंगलवार) की दोपहर तक केवल 2 रातों की अवधि हेतु। रहने की व्यवस्था साझा आधार पर रिहायशी प्रतिभागियों के लिए आईएचसी, दिल्ली ओ दिल्ली में सुबह के नाश्ते और दिल्ली ओ दिल्ली में रात के भोजन सहित कैम्पस में की जा रही है। चाय/काँफी के साथ ही दोपहर के भोजन की व्यवस्था उक्त स्थान में की जाएगी।

**प्रारंभ:**

24 फरवरी, 2020 को 10.00 बजे

**समापन:**

25 फरवरी, 2020 को 13.00 बजे

**नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 17 फरवरी, 2020**



"भारत में आवास वित्त कंपनियों के लिये पर्यवेक्षण" पर आ. वि. कं. के अधिकारियों के  
लिये अनन्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम  
24-25 फरवरी, 2020  
भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड  
नई दिल्ली

नामांकन प्रपत्र	
अंग्रेज़ी में नाम: (श्रीमती/श्री./सुश्री./डॉ.)	
हिन्दी में नाम (श्रीमती/श्री./कुमार/डॉ.)	
लिंग(पुरुष/स्त्री)	
आवास वित्त कंपनी का नाम	
रिहायशी/गैर-रिहायशी	
आयु	
पद	
अनुभव (वर्षों में)	
योग्यता	
जिम्मेदारियां	
पता	
मोबाइल नं.	
कार्यालय दूरभाष सं.	

भुगतान विवरण	
राशि (₹ में)	
भुगतान तिथि	
यूटीआर सं.	
जीएसटी संख्या जिसके लिए इनवॉयस जारी किया जाना है	
संस्थान का पता जिसके लिए इनवॉयस जारी किया जाना है	
पता जिसके लिए इनवॉयस भेजा जाना है	
राज्य	

नोट: कृपया उपर्युक्त प्रत्येक विवरण भरें

**संबोधित और ईमेल करने के लिए नामांकन:**

क्षेत्रीय प्रबंधक, प्रशिक्षण प्रभाग और सीसीसी, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5 ए, तीसरी से 5वीं मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003  
टेलीफोन: +9111 39187189; +9111 3918712 9  
ईमेल पता- [sukriti.wadhwa@nhb.org.in](mailto:sukriti.wadhwa@nhb.org.in) , [niladri.bose@nhb.org.in](mailto:niladri.bose@nhb.org.in)



"भारत में आवास वित्त कंपनियों के लिये पर्यवेक्षण" पर आ. वि. कं. के अधिकारियों के  
लिये अनन्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम  
24-25 फरवरी, 2020  
भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड  
नई दिल्ली